



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)



No. NCRES/42/21

Date : 20.7.2021

श्रीमान डा० एम. राघवैय्या जी
महामंत्री—एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :— टिकट चेकिंग स्टाफ को रनिंग स्टाफ जैसा माने जाने हेतु कमेटी के परीक्षण के लिये NCRES का सुझाव।

संदर्भ :— महामंत्री NFIR का पत्र दिनांक 25.6.2021 एवं 13.7.2021

महोदय,

टिकट चेकिंग स्टाफ को रनिंग स्टाफ के रूप में मान्यता देना व रनिंग स्टाफ जैसी सुविधा प्रदान करने हेतु NCRES के निम्न सुझाव आपके अवलोकनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Item No. A पर प्रतिक्रिया

(1) टिकट चेकिंग स्टाफ के कार्य की शर्तें रनिंग स्टाफ जैसी ही है व टिकट चेकिंग स्टाफ भी ड्यूटी पर 45 मिनट पूर्व लाबी में S/On करता है व आउट स्टेशन से लौटने पर टिकट चेकिंग लाबी में सम्पूर्ण आख्या प्रस्तुत कर S/Off करता है।

(2) रनिंग स्टाफ की तरह टिकट चेकिंग स्टाफ को होम स्टेशन छोड़ने के पश्चात् प्रायः लगभग 48 घंटे आउट स्टेशन पर रहना पड़ता है व अधिकांश समय गाड़ी व रेस्ट रूम में बिताना पड़ता है व रेस्ट रूम में कुकिंग की सुविधा के अभाव में उन्हें भोजन आदि की गम्भीर समस्या से भी जूझना पड़ता है।

(3) टिकट चेकिंग स्टाफ पैसेन्जर ट्रेनों में यात्रियों को उचित सुविधायें प्रदान करता है व सीट मुहैया कराता है एवं संतुष्ट कर रेल की छवि बढ़ाता है, नशीली चीजों के उपयोग पर रोक लगाता है जिससे आये दिन कुछ पैसेन्जरों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार को भी झेलता है व अनायास शिकायतों का भी शिकार होता है।

(4) टिकट चेकिंग स्टाफ पैसेन्जरो के समानो की सुरक्षा, उनकी देख-भाल व उनके सकुशल यात्रा का प्रयास करता है एवं चेन पुलिंग होने की स्थिति में सम्बन्धित कोच को ठीक करने का कार्य करता है जिससे गाड़ी के अनावश्यक विलम्ब को बचाने का प्रयास करता है।

(5) टिकट चेकिंग स्टाफ भी शिकायत निवारण पुस्तिका में पैसेन्जरो द्वारा की गई शिकायतो को दर्ज करता है व की गई शिकायतो के निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही कर प्रशासन को अवगत कराने का कार्य करता है।

(6) प्रायः रिक्तियों के चलते टिकट चेकिंग स्टाफ को मानक से ज्यादा कोचों की जांच व निगरानी भी करना पड़ता है जिससे उनके ऊपर कार्य का बोझ बहुत बढ़ जाता है और वे टेन्शन आदि के कारण गम्भीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।

उपरोक्त विवरणो से स्पष्ट है कि टिकट चेकिंग स्टाफ व रनिंग स्टाफ की कार्य की दशा लगभग समान है। रनिंग स्टाफ के तर्ज पर टिकट चेकिंग स्टाफ को भी टी.ए. के स्थान पर रनिंग अलाउन्स दिया जाना ही न्याय संगत है।

Item No. B पर प्रतिक्रिया

(1) टिकट चेकिंग स्टाफ में प्रायः रिक्तियां बनी रहती हैं व वर्तमान में भी NCR जोन में रिक्तियां शेष हैं। रिक्तियों को भरने की पहल करते-करते लम्बा समय लग जाता है जिससे जहाँ कुछ रिक्तियां भरी गई तो उसमें भी ज्यादा नई रिक्तियां हो जाती हैं दूसरी तरफ नये क्रियेशन पर प्रायः रोक लगा दिया गया है।

(2) टिकट चेकिंग स्टाफ में रिक्तियों के चलते स्टाफ पर कार्य का बोझ बढ़ जाता है व कोचों की मैनिंग भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है जिससे रेलवे राजस्व की हानि होती है व बिना टिकट यात्रा को भी बढ़ावा मिलता है एवं रेलवे की छवि भी धूमिल होती है। रिक्तियों के कारण कई गाड़ियां बिना टिकट चेकिंग स्टाफ के चलानी पड़ती हैं व अधिकांश गाड़ियों में मानक के अनुरूप स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाता है।

(3) नई गाड़ियों के चलने पर व कोचों की संख्या गाड़ियों में बढ़ाये जाने पर एवं गाड़ियों के फेरे बढ़ाने पर टिकट चेकिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाने में वर्तमान प्रक्रिया के फलस्वरूप लम्बा समय लग जाता है व रेल राजस्व की हानि भी होती है।

उपरोक्त विवरणो से स्पष्ट है कि टिकट चेकिंग स्टाफ की सभी रिक्तियां भरी जानी चाहिये व बिना मैचिंग सेविंग के आवश्यकतानुसार पद क्रियेट किया जाना चाहिये व रनिंग स्टाफ की तरह पीरियाडिकल रिव्यू कर पद भरने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये जिससे स्टाफ पर अनावश्यक कार्य का बोझ न बढ़े और कोचेज उचित ढंग से मैन किया जा सके जिससे रेलवे राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ रेल की छवि धूमिल होने से बचाया जा सके।

Item No. 3 पर प्रतिक्रिया

गाड़ी में स्कार्टिंग स्टाफ के लिये जगह सुनिश्चित न होने से प्रायः आवश्यकता पड़ने पर रनिंग स्टाफ व टिकट चैकिंग स्टाफ को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती जिससे गाड़ी में आवश्यकतानुसार मदद नहीं मिल पाती व कार्य प्रभावित होता है व कभी—कभी गाड़ी का अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

गाड़ी में स्कार्टिंग स्टाफ जैसे — मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एस. एण्ड टी. एवं ट्रेन सुपरिटेन्डेन्ट के लिये स्थान, ear mark न होने से उन्हें बहुत असुविधा होती है जिससे उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है।

मार्जिपाल सिंह
(आर. पी. सिंह)
महामंत्री